

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
लहेरियासराय, दरभंगा।

पटना, दिनांक-08/03/2019

विषय:- दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को विपत्र कोड-20-2210011100002 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वेतनादि एवं अन्य मदों में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू० 13,60,00,000/- (रुपये तेरह करोड़ साठ लाख) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय को विपत्र कोड-20-2210011100002 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वेतनादि एवं अन्य मदों में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रू० 13,60,00,000/- (रुपये तेरह करोड़ साठ लाख) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/कि(2) दिनांक-17.04.1998, 2880/कि(2) दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय, विपत्र कोड-20-2210011100002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटनादेश द्वारा 0002.52.01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय ईकाई में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए भी राशि शामिल है।
9. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, दरभंगा से की जाएगी।
11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
12. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापक-1/द0मे0कॉ0अ0-03/2018-112(1)क/स्वा0, पटना, दिनांक-08/03/2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/जिलाधिकारी, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सरकार के विशेष सचिव



दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड-20-221001100002 को वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	तृतीय अनुसूक्त आगणन से प्राप्त उपबंध	अद्यतन कुल बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	अद्यतन कुल आवंटन	शेष राशि
0002.01.01 वेतन	360000000	75000000	435000000	360000000	75000000	435000000	0
0002.01.03 जीवन यापन भत्ता	40000000	8500000	48500000	40000000	8500000	48500000	0
0002.01.04 मकान किराया भत्ता	27343000	3500000	30843000	27343000	3500000	30843000	0
0002.01.05 परिवहन भत्ता	8241000	2500000	10741000	8241000	2500000	10741000	0
0002.01.06 चिकित्सा भत्ता	8556000	2500000	11056000	8556000	2500000	11056000	0
0002.01.07 अन्य भत्ता	23265000	4000000	27265000	23265000	4000000	27265000	0
योग- वेतन एवं भत्ते	467405000	96000000	563405000	467405000	96000000	563405000	0
0002.28.02 सविदा सेवायें	118218000	20000000	138218000	118218000	20000000	138218000	0
0002.52.01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय	50000000	20000000	70000000	50000000	20000000	70000000	0
कुल योग:-	635623000	136000000	771623000	635623000	136000000	771623000	0

(रुपये तेरह करोड़ साठ लाख)



सरकार के विशेष सचिव

1811 (17) 2019
61002-80-880

सं०सं०-1/अ०ना०म०मे०कॉ०-01/2018- 113(1)ख०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज,
गया।

पटना, दिनांक-08/03/2019

विषय:- अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया, विपत्र कोड-20-2210051050007 को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भाड़े की गाड़ी का भुगतान मद में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू० 2,50,000/- (रुपये दो लाख पचास हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया को विपत्र कोड-20-2210051050007 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भाड़े की गाड़ी का भुगतान मद में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू० 2,50,000/- (रुपये दो लाख पचास हजार) मात्र का आवंटन निम्नरूपेण दी जाती है-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0007.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	0	250000	250000	0	250000	250000	0

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक-06.05.06, 96/वि०(2), दिनांक-09.01.08 सह-पठित संकल्प सं०-2190/वि०(2), दिनांक-17.03.08, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2) दिनांक-18.04.2011 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0007-मगध मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050007 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से की जायेगी।

①

5. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
7. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
8. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जाएगी।
9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
10. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/अ0ना0म0मे0काँ0-01/2018-113(1)का/स्वा0, पटना, दिनांक-08/03/2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/जिलाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव



बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
गया।

पटना, दिनांक-08 /03 /2019

विषय:- अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया को विपत्र कोड-20-2210011100006 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वेतनादि एवं अन्य मदों में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू० 2,31,29,000/- (रुपये दो करोड़ एकतीस लाख उन्तीस हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया को विपत्र कोड-20-2210011100006 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वेतनादि एवं अन्य मदों में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू० 2,31,29,000/- (रुपये दो करोड़ एकतीस लाख उन्तीस हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2), दि०-17.04.98, 2880/वि०(2), दि०-06.05.06, 96/वि०(2), दि०-09.01.08 सह-पठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०-17.03.08, 2938/वि०(2), दि०-08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।


4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0006-मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, विपत्र कोड-20-2210011100006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
9. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जाएगी।
10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/अ0ना0म0मे0काँ0अ0-03/2018- 111(1) ~~का~~ स्वा0, पटना, दिनांक-08/03/2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/जिलाधिकारी, गया/ कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, विपत्र कोड-20-2210011100006 को वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का कुल बजट उपबंध	वृत्तीय अनुसूक्त आगणन से प्राप्त उपबंध	अद्यतन कुल बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0006.01.01 वेतन	243000000	260500000	100000000	270500000	260500000	100000000	270500000	0
0006.01.03 जीवन यापन भत्ता	270000000	300000000	200000000	320000000	300000000	200000000	320000000	0
0006.01.04 मकान किराया भत्ता	218350000	233350000	100000000	243350000	233350000	100000000	243350000	0
0006.01.05 परिवहन भत्ता	52220000	58220000	30000000	61220000	58220000	30000000	61220000	0
0006.01.06 चिकित्सा भत्ता	51360000	56360000	30000000	59360000	56360000	30000000	59360000	0
0006.01.07 अन्य भत्ता	54870000	73870000	140000000	87870000	73870000	140000000	87870000	0
योग- वेतन एवं भत्ते	307680000	332680000	150000000	347680000	332680000	150000000	347680000	0
0006.14.01 किराया महसूल एवं कर	700000	700000	31290000	38290000	700000	31290000	38290000	0
0006.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	100000000	180000000	50000000	230000000	180000000	50000000	230000000	0
कुल योग:-	318380000	351380000	231290000	374509000	351380000	231290000	374509000	0

(रुपये दो करोड़ एकतीस लाख उन्तीस हजार)

(Handwritten Signature)

सरकार के विशेष सचिव

1111 (1) क. 102-23-03-880